



2026:AHC-LKO:40642

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10810 वर्ष 2025

अंकित यादव

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ, उ.प्र. के माध्यम से

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता	: बृजेश कुमार यादव
विपक्षीगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.), सौरभ कुमार, सुशील कुमार सिंह

न्यायालय कक्ष सं. - 11माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/2025, धारा 61(2), 103(1), 190, 191(2), 191(3) बी.एन.एस. तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 9/25, 5/27 के अंतर्गत इस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किए जाने की कृपा की जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि कथित प्रत्यक्षदर्शी के बयान में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गोली चलाने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जबकि मृतक के शरीर पर केवल दो आग्नेयास्त्र चोटें पाई गई हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार, शिकायतकर्ता के पुत्र (मृतक) के साथ शुभम विश्वकर्मा भी घटनास्थल पर मौजूद था, किंतु अभियुक्तगण द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी किए जाने के बावजूद उसे कोई आग्नेयास्त्र संबंधी चोट नहीं लगी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास प्रत्युत्तर शपथपत्र के पैरा 17 में स्पष्ट किया गया है। जोरदार ढंग से यह प्रस्तुत किया गया कि अन्य सह-अभियुक्तगण, अर्थात् अमजद अली, सुरेन्द्र कुमार, दिवाकर यादव @ फोटू यादव @ फोटू तथा नीरज यादव को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि आरोप विरचित किए जा चुके हैं, किंतु विचारण आगे नहीं बढ़ रहा है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक, जो दिनांक 17.07.2025 से जेल में निरुद्ध है, जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जब आवेदक नाबालिग था, तब उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

287/2023, धारा 323, 34, 452, 307 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी तथा आवेदक, जिसकी आयु मात्र लगभग 19 वर्ष है, के विरुद्ध वर्तमान मामले सहित कुल 12 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 140/2024, धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं., थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 91/2023, धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं., थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 005/2023, धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं., थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

(iv) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 287/2023, धारा 323, 34, 452, 307 भा.दं.सं., थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

(v) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 584/2022, धारा 323, 34, 427, 435, 452, 506 भा.दं.सं., थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

(vi) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 88/2023, धारा 323, 34, 504, 506 भा.दं.सं., थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

(vii) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 156/2023, धारा 323, 504 भा.दं.सं. तथा धारा 3(1) द, ध SC/ST अधिनियम, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(viii) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 275/2022, धारा 323, 34, 504, 506 भा.दं.सं., थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

(ix) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 138/2024, धारा 323, 394, 411 भा.दं.सं., थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

(x) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 66/2024, धारा 115(2), 126(2), 351(3) बी.एन.एस., थाना अखंड नगर, जनपद सुल्तानपुर।

(xi) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/2025, धारा 103(1), 190, 191(2), 191(3), 61(2) बी.एन.एस., थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

(xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 153/2025, धारा 109, 132, 190, 191(2), 191(3), 212, 213 बी.एन.एस., थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।

5. अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ समानता के आधार पर किए गए दावे का खंडन करते हुए, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अमजद अली, दिवाकर यादव एवं सुरेन्द्र कुमार के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि अंकित यादव एवं मोनू यादव के शस्त्र का अपराध में प्रयोग किया गया था। विपक्षी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा आवेदक के पास से शस्त्र भी बरामद किया गया है। जोरदार ढंग से यह प्रस्तुत किया गया कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट से भी यह पुष्ट होता है कि आवेदक के पास से बरामद शस्त्र का अपराध में प्रयोग किया गया था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अतः यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि आवेदक का 11 मामलों का आपराधिक इतिहास है। यह भी स्पष्ट है कि जब आवेदक किशोर था, उस समय उसकी संलिप्तता एक जघन्य अपराध में पाई गई थी। इसके अतिरिक्त, एफ.एस.एल. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आवेदक के पास से बरामद शस्त्र का अपराध में प्रयोग किया गया था।

ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक के पक्ष में जमानत का कोई मामला नहीं बनता है।

7. आवेदन निरस्त किया जाता है।

8. तथापि, विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना विचारण को शीघ्रता से पूर्ण करे।

(न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह)

दिनांक : 09 जून, 2026

वी.के.एस.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।